–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 61/2020

उनवान

1. कुलदीप
2. प्रदीप पि. रामदेव
3. कमला पत्नी रामदेव समस्त जाति जाट निवासी ग्राम जसवंतपुरा, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा, शाखा रामसर, नसीराबाद
3. मैनेजर क्षेत्रीय ग्रामीण बडौदा बैंक शाखा लोहरवाडा, नसीराबाद
4. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक, शाखा नसीराबाद, नसीराबाद

———— प्रतिवादीगण :– 2 से 4 अनुपस्थित
1 जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 9/1/25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जसवंतपुरा के खाता संख्या 172/178 किता 13 रकबा 5.00, ग्राम रामपुरा हनुवतिंया के खाता संख्या 226/229 किता 7 रकबा 0.69, 209/264 के खसरा नम्बर 1768 रकबा 0.09, 229/279 किता 12 रकबा 7.08, खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.04, 208/262 किता 14 रकबा 4.44 व खसरा नम्बर 1807 रकबा 0.19 की आराजी के मूल खातेदार रामदेव पुत्र मोती की मृत्यु हो गयी है। रामदेव के वारिस वादीगण ही है। रामदेव की मृत्यु के बाद आराजी मुतनाजा नियमानुसार वारिस वादीगण के नाम दर्ज करनी थी। किन्तु भूमि बैंक रहन होने व रामदेव पर बकाया ऋण होने के कारण नीलामी की सूचना बैंक द्वारा जारी की गयी। साथ ही रामदेव की विरासत वादीगण के नाम दर्ज नही की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है, अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोशित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर [illegible] को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज[illegible] जवाब पेश कर निवेदन किया कि आरजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख [illegible] हिस्सा दर्ज है। खातेदार की भूमि रहन दर्ज होने व ऋण बकाया होने [illegible] नियमानुसार नीलाम करने का हकदार है। वाद चलने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:14:58 IST
Reason: SelfAttested

——2

नसीराबाद (अजमेर)

वाद में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा पर वादीगण विरासत के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ?

—— वादीगण

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये। व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। राज. पैराकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम जसवंतपुरा के खाता संख्या 172/178 किता 13 रकबा 5.00, ग्राम रामपुरा हनुवतिंया के खाता संख्या 226/229 किता 7 रकबा 0.69, 209/264 के खसरा नम्बर 1768 रकबा 0.09, 229/279 किता 12 रकबा 7.08, खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.04, 208/262 किता 14 रकबा 4.44 व खसरा नम्बर 1807 रकबा 0.19 की आराजी के मूल खातेदार रामदेव पुत्र मोती की मृत्यु हो गयी है। रामदेव के वारिस वादीगण ही है। रामदेव की मृत्यु के बाद आराजी मुतनाजा नियमानुसार वारिस वादीगण के नाम दर्ज करनी थी। किन्तु भूमि बैंक रहन होने व रामदेव पर बकाया ऋण होने के कारण नीलामी की सूचना बैंक द्वारा जारी की गयी। साथ ही रामदेव की विरासत वादीगण के नाम दर्ज नही की गयी। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खातेदार की भूमि रहन दर्ज होने व ऋण बकाया होने के कारण प्रतिवादी नियमानुसार नीलाम करने का हकदार है। किन्तु भूमि रहन होने अथवा बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही करने से विरासत के नामानतकरण दर्ज करना अविधिक नही हैं भूमि वादीगण के नाम बाद जॉच जरियें विरासत दर्ज होने के बाद भी संबधित बेंक के नाम रहन दर्ज होगी। राजस्व अभिलेख में मृत खातेदार के स्थान विधिक वारिसान का नाम जरियें विरासत दर्ज करने से राजस्व अभिलेख आदिनांक रहेगा। सबंधित बैंक अपने बकाया ऋण की वसुली वादीगण द्वारा कर सकता है। वादीगण ने रामदेव पुत्र मोती का शजरा प्रमाण पत्र पेश किया है। अतः तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम जसवंतपुरा के खाता संख्या 172/178 किता 13 रकबा 5.00, ग्राम रामपुरा हनुवतिंया के खाता संख्या 226/229 किता 7 रकबा 0.69, 209/264 के खसरा नम्बर 1768 रकबा 0.09, 229/279 किता 12 रकबा 7.08, खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.04, 208/262 किता 14 रकबा 4.44 व खसरा नम्बर 1807 रकबा 0.19 की आराजी पर वादीगण का वाद इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर मृत खातेदार रामदेव पुत्र मोती के स्थान पर वादीगण के नाम नामान्तकरण की कार्यवाही करे। संबधित बैंक का रहन पूर्व अनुसार दर्ज होगा। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:14:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कुलदीप बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 61/2020
पेश करने की दिनांक – 28.07.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम जसवंतपुरा के खाता संख्या 172/178 किता 13 रकबा 5.00, ग्राम रामपुरा हनुवतिंया के खाता संख्या 226/229 किता 7 रकबा 0.69, 209/264 के खसरा नम्बर 1768 रकबा 0.09, 229/279 किता 12 रकबा 7.08, खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.04, 208/262 किता 14 रकबा 4.44 व खसरा नम्बर 1807 रकबा 0.19 की आराजी पर वादीगण का वाद इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर मृत खातेदार रामदेव पुत्र मोती के स्थान पर वादीगण के नाम नामान्तकरण की कार्यवाही करे। संबधित बैंक का रहन पूर्व अनुसार दर्ज होगा। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 3 माह (सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:14:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद